

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ

वादपत्र संख्या :- 68/2018

दायर तारीख 02.11.2018

अनवान

1. जयलाल पिता भूरालाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।
2. गंगाराम पिता मांगू जाति भील उम्र वयस्क निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।
3. पानी पत्नि गंगाराम जाति भील उम्र वयस्क निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।
.....वादीगण

बनाम

1. गंगाराम पिता हरिया जाति भील उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार बिजौलियाँ।
.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री अनिल धाकड अधिवक्ता वादी
प्रतिवादीगण एक तरफा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 का0 अधिनियम

निर्णय


दिनांक :- 09.01.2019

सक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0का0 अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 27.11.2018 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम उम्मेदपुरा प0 मण्डल गुढा स्थित आराजी नं0 295,296,297,298,299,300,301 कुल किता 7 रकबा 6 बीघा 08 बिस्वा भूमि का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार बटवाड़ा किये जाने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में बटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत कराने बावत् तहसीलदार बिजौलियाँ को आदेशित किया गया।


तहसीलदार बिजौलियाँ ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये। प्राप्त बटवाड़ा प्रस्तावो पर बहस अधिवक्ता वादी एक तरफा सुनी गयी। अधिवक्ता वादी तहसीलदार बिजौलियाँ द्वारा प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव से सहमत है। अतः वाद पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राज0का0 अधिनियम बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :-

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
01	जयलाल पिता भूरालाल भील निवासी गणेशपुरा तह. बून्दी, जिला- बून्दी। गंगाराम पिता मांगू भील निवासी फतेहनगर। पानी पत्नि गंगाराम भील निवासी फतेहनगर।	उम्मेदपुरा	295	0.10	-
			296	0.19	-
			297	0.17	-
			298	0.19	-
			299	0.14	-
			300	1.08	-
			301	0.13	-
	योग		किता 07	6-00	-
02	गंगाराम पिता हरिया भील सादेह खातेदार	उम्मेदपुरा	291/1	0.01	-
			297/1	0.01	-
			298/1	0.01	-
			299/1	0.02	-
			300/1	0.03	-
	योग		किता 5	0.08	-

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार भूमि अलग - अलग खाते दर्ज की जावे। अधिवक्ता वादी नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करे तब डिक्री मुर्तिब की जावे।


(विकास पंचोली) 09/01/19
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ - भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 09.01.2019 को लिखवाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
उपखण्ड अधिकारी

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्री विकास पंचोली (RAS)

वादपत्र संख्या 68/2018

दायर तारीख 02/11/2018



1. जयलाल पिता भूरालाल जाति भील उग्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील विजौलियां जिला भीलवाड़ा।
2. गंगाराम पिता मांगू जाति भील उग्र वयस्क निवासी फतेहनगर तहसील विजौलिया जिला भीलवाड़ा।
3. पानी पत्नि गंगाराम जाति भील उग्र वयस्क निवासी फतेहनगर तहसील विजौलियां जिला भीलवाड़ा।

.....वादीगण

बनाम

1. गंगाराम पिता हरिया जाति भील उग्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील विजौलियां जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार विजौलिया।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-88 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :- 09.01.2019

डिक्री दिनांक :- 11.01.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कर्तई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय विजौलियां बहाजरी अधिवक्तावादी श्री छीतरलाल धाकड और प्रतिवादी अधिवक्ता एक पक्षीय पेश होकर हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

अतः वादगण पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम ग्राम उम्मेदपुरा प0 मण्डल गुढा के राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
01	जयलाल पिता भूरालाल भील निवासी गणेशपुरा तह. बून्दी, जिला- बून्दी। गंगाराम पिता मांगू भील निवासी फतेहनगर। पानी पत्नि गंगाराम भील निवासी फतेहनगर।	उम्मेदपुरा	295	0.10	-
			296	0.19	-
			297	0.17	-
			298	0.19	-
			299	0.14	-
			300	1.08	-
			301	0.13	-
	योग		किता 07	6-00	-
02	गंगाराम पिता हरिया भील सादेह खातेदार	उम्मेदपुरा	291/1	0.01	-
			297/1	0.01	-
			298/1	0.01	-
			299/1	0.02	-
			300/1	0.03	-
	योग		किता 5	0.08	-


11/01/19
उपखण्ड अधिकारी
विजौलियां जि -भीलवाड़ा

खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

नीजNil.....मुबलिंग Nilवावत् Nilखर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nilफीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nilका अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 01 वर्ष 2019 को जारी किया गया।

नोट :- प्रकरण में निर्णय दिनांक 09/01/2019 को प्रसारित किया गया निर्णय की अनुपालना में वकीलवादी द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक 11/01/2019 को मुर्तिक की गई।



(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-		स्टाम्प अरजीदया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
महनताना वकील ()	-		महनताना वकील ()	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
वावत् इजराय हुक्मनामा	-		वावत् इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां